



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक: 08.11.2012

वाद पत्र सं.: 189/2012

1. (फौत) दिग्विजय सिंह पुत्र तिलोक सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 1/1 विक्रमसिंह पुत्र स्व. दिग्विजय सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 1/2 सुमित्रा कुमारी पत्नि स्व. दिग्विजय सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 1/3 सरोज कंवर पुत्री स्व. दिग्विजय सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)

-वादीगण-

बनाम

1. मोहनराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. (फौत) अमरचन्द पुत्र केसाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 2/1 सुन्दरदेवी पत्नि स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 2/2 रतनलाल पुत्र स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 2/3 खेमचन्द पुत्र स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 2/4 ईश्वरचन्द पुत्र स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 2/5 वेदप्रकाश पुत्र स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
3. (फौत) कुम्भाराम पुत्र बुद्धाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 3/1 संगीता देवी पत्नि स्व. कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 3/2 सुरेन्द्र कुमार पत्र स्व. कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
4. (फौत) हनुमान पुत्र रामदेव जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 4/1 शंकरलाल पुत्र हनुमान जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 4/2 गोविन्दलाल पुत्र हनुमान जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 4/3 मखनलाल पुत्र हनुमान जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
5. गुट्टू पुत्र रामदेव जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)

-प्रतिवादीगण-

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ऋषिराजसिंह शेखावत
प्रतिवादीगण:- श्री बजरंगलाल शर्मा



:-निर्णय:-

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 888 तादादी 40 बीघा वाके रोही मोजा दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु में स्थित है। यह भूमि आबादी भूमि से चिपते ही स्थित है।
2. प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के घर ग्राम आबादी में वादी के उक्त खेत के चिपतो हुआ स्थित है- जिसमें प्रतिवादीगण रिहायश करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण, वादी के खेत की भूमि पर अपने घर की बाड़ सरकाकर कब्जा करते आ रहे हैं तथा अब प्रतिवादी संख्या 1 ने 40 फुट लम्बी X 15 फुट भूमि पर प्रत्येक ने बाड़ करके नाजायज कब्जा कर रखा है- प्रतिवादीगण को वादी के खेत में बाड़ करने अथवा निर्माण करवाने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण ने बिना वादी की सहमति के उपरोक्त भूमि पर नाजायज कब्जा बाड़ सरकारकर कर रखा है-जिनको बेदलखल किया जाना आवश्यक है।
3. वादी ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि वादी के खेत की उपरोक्त भूमि खेत नाजायज कब्जा हटा लेवे- मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते चले आ रहे हैं एवं आखिर दिनांक 25.08.1998 को प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया। यही दिनांक विनाय मुखास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त है।
4. निवास स्थान फ़ैरीकेन व वादगत भूमि अदालत वाला के क्षेत्राधिकार में स्थित है-इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा हर प्रकार से अंदर मियाद उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) जरिये डिक्री बेदखली का मद सं. 2 दावा में उल्लेखित माप की भूमि जो खेत खसरा नं. 888 तादादी 40 बीघा वाके रोही दुधवाखारा से नाजायज कब्जा हटाया जाकर खाली भूमि पर कब्जा वादी को दिलवाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वो भी दिलवाया जावे।

5. वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगलाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर जवाब पेश किया गया। तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 11.03.2011 को निर्णय पारित किया गया वकील वादी द्वारा प्रा. पत्र पेश कर कहा कि वादगत कृषि भूमि पर पटवारियों की टीम गठित कर नहीं गया, पैमाईश न तो टीम से, न धोरी मशगज से की गई है केवल सरसरी तौर पर पटवारी हल्का से नाप कराई गई है जो अन्दाजन रिपोर्ट है इसे नहीं पढ़ा जाये एवं पुनः रिपोर्ट मंगाई जाये। नायब तहसीलदार चूरु द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में ही मौका जांच की गई है तथा टीम के तौर पर भूअ.नि. एवं पटवारी हल्का को साथ लिया था तथा पटवार मण्डल सिरसला का पटवारी भी मौका अवलोकन के समय थे। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट मौका में स्पष्ट अंकन है कि ख.नं. 888 मिन के उत्तरी पूर्वी कोने पर प्रतिवादीगण के आबाद रिहायशी मकान बने हुए



है। तथा समस्त प्रतिवादीगण का अतिक्रमण वादी की खातेदारी पर नहीं है इसके साथ यह भी बताया कि वादी द्वारा स्वयं अपनी खातेदारी के अलावा साथ में लगी आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर खेत को आगे बढ़ाया हुआ है। वादी द्वारा अपनी भूमि पर किये अतिक्रमण की बेदखली हेतु दायर वाद सं. 01/1999 एवं 236/98 में नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी द्वारा आबादी भूमि में आगे बढ़कर कब्जा काश्त की हुई है। यह भी बताया है कि आबादी के अन्य मकानात भी प्रतिवादी नं. 1 व 2 की लाईन में ही है। वादी द्वारा आबादी भूमि में उक्त खसरे की उत्तर-पश्चिमी व दक्षिण-पश्चिमी सीमा कोनों में अतिक्रमण किया हुआ है उसी को अपनी खातेदारी की सीमा मानते हुए प्रतिवादीगण का अतिक्रमण मान रहा है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि आराजी विवाद खसरा नं. 888 रकबा 40-00 बीघा ग्राम दूधवाखारा पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है तथा पटवारी, भू.अ.नि. एवं नायब तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई है इसे सरसरी रिपोर्ट नहीं मानी जा सकती है, मौका रिपोर्ट के दिन उभयपक्षों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में अवलोकन कर तैयार की गई जिसमें अतिक्रमण प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः आपत्ति प्रा.पत्र वकील वादी/प्रार्थी खारिज किया तथा वाद बाबत बेदखली प्रतिवादी ख.नं. 880 रकबा 40-00 बीघा ग्राम दुधवाखारा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। खर्चा फेरीकेन अपना वहन करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6. माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर अपील सं. 43/2011 निर्णय दिनांक 05.06.2012 द्वारा उक्त आदेश को रिमाण्ड कर प्राप्त होने पर पत्रावली वाजवे नम्बर पर दर्ज की गई। न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर के निर्णय की पालना में तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चूरु से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त। नायब तहसीलदार, चूरु की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2016 को भू.अ.नि. व पटवारी दूधवाखारा को साथ लेकर तहसीलदार, चूरु के आदेश क्रमांक भू.अ./2016/521-23 दिनांक 22.03.2016 की पालना में ग्राम दूधवाखारा के ख.नं. 1303/888 तादादी 40-00 बीघा का सीमाज्ञान व मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त खसरा के उत्तर-पूर्व में सुल्तान पुत्र घड़सीराम मेघवाल, विनोद पुत्र भादरराम मेघवाल, मोहनराम पुत्र दानाराम मेघवाल, कंभाराम पुत्र बुधाराम मेघवाल, गिरधारी पुत्र बुधाराम मेघवाल, खेमचन्द पुत्र अमरचन्द मेघवाल ने करीब 1.5 गट्टा भूमि पर कब्जे कर बाड़े बना रखे हैं इन सबने $35 \times 1.5 = 52.5$ गट्टा भूमि पर कब्जे कर बाड़े बना रखे हैं। उक्त खसरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में कल्याणसिंह पुत्र भादरसिंह राजपूत, रामसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत, विरेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र अमरसिंह राजपूत, सायरकंवर पत्नि दीपसिंह राजपूत का 1×40 गट्टा का कब्जा है।
7. उक्त रिपोर्ट पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसका जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौका रिपोर्ट पर पेश आपत्ति प्रार्थना-पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय आर.ए.ए. ने अपने निर्णय दिनांक 05.06.2012 में ख.नं. 888 तादादी 40 बीघा कृषि भूमि की तहसीलदार चूरु के अधीन टीम गठित कर पुख्ता निशानात के आधार पर पैमाईश करवाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर करने हेतु निर्देशित किया है। उक्त निर्णय की पालना में ही मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है। जिसमें अंकित है कि नायब तहसीलदार दूधवाखारा, भू.अ.नि. व पटवारी दूधवाखारा की टीम बनाई जाकर पैमाईश मौके पर ख.नं. 888 रोही दूधवाखारा में करवाई गई। संलग्न फर्द मौका में नायब तहसीलदार ने अंकित किया है कि ख.नं. 1303/888 तादादी 40 बीघा का सीमाज्ञान व मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त फर्द मौका में अतिक्रमियों द्वारा कब्जाई भूमि का नाप व उनके नाम लिखे हैं तथा अतिक्रमण की गई भूमि नाप भी लिखा है। यह भी अंकन है कि पक्षकारान को हस्ताक्षर करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। एक प्रतिवादी खेमचन्द के हस्ताक्षर भी अंकित हैं एवं सर्वे टीम के समस्त सदस्यों के फर्द मौका पर हस्ताक्षर

- हैं। जहां तक तहसीलदार चूरू द्वारा पेश फोटो कॉपी का प्रश्न है तो वादगत कृषि भूमि ख.नं. 888 ग्राम दूधवाखारा से संबंधित तीन प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है जिनमें दावा सं. 188/2012 अनुवानी दिग्विजयसिंह बनाम अमरसिंह, दावा सं. 189/2012 दिग्विजयसिंह बनाम मोहनराम आदि व दावा सं. 190/2012 दिग्विजयसिंह बनाम कल्याणसिंह हैं। उक्त तीनों प्रकरणों में कृषि भूमि एक ही ख.नं. 888 रोही दूधवाखारा से संबंधित है तथा वादगत कृषि भूमि का मौका व विषय एक समान ही होने से एक प्रकरण में मूल मौका रिपोर्ट व शेष अन्य दो प्रकरणों में मौका रिपोर्ट की फोटो प्रतियां पेश की है तथा जिन पर तहसीलदार की ओर से नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित है इसलिए मौका रिपोर्ट की मूल प्रति एक पत्रावली पर उपलब्ध है तथा शेष पर फोटो प्रतियां उपलब्ध है जिन्हें मिथ्या नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार से प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से पेश आपति प्रार्थना-पत्र इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट पर आपति प्रा. पत्र खारिज किया जाता है।
8. पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी में दावा व मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए खेत खसरा नं. 888 तादादी 40 बीघा वाके रोही दुधवाखारा से नाजायज कब्जा हटाया जाकर खाली भूमि पर कब्जा वादी को दिलवाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब में अंकित तथ्यों दौहराते हुए प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी भूमि का कोई हिस्सा न तो दबा रखा है तथा न प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा कर रखा है प्रतिवादी अपनी आवासीय गुवाड़ी में अपने पूर्वजों के समय से ही लगातार रिहायश करता चला आया है। प्रतिवादी ने अपनी आवासीय भूमि पर पक्के मकानात बना रखे हैं जिन पर प्रतिवादी का परिवार शांतिपूर्वक रिहायश कर रहा है। प्रतिवादी को रिहायशी भूमि प्रतिवादी व उसके परिवार जनों के पीढ़ियों से कब्जा उपयोग व उपभोग में चली आई है प्रतिवादी व उसका परिवार अपने परिवार की उक्त रिहायशी भूमि पर पिछली तीन-चार पीढ़ियों से लगातार रिहायश करता चला आया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का कब्जा उपयोग व उपभोग की भूमि रिहायशी होने के कारण दावा काबिले खारिज योग्य है।
9. यह वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध उनकी खातेदारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने (बेदखली) हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का कथन है कि खसरा नं. 888, रकबा 40 बीघा, स्थित रोही ग्राम दुधवाखारा उनकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर अपने मकानों की बाड़ आगे बढ़ाकर लगभग 52 फुट X 35 फुट भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में वादीगण के कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि वे अपनी पैतृक रिहायशी भूमि पर कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं तथा उन्होंने वादी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है।
10. प्रारम्भ में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 11.03.2011 को वाद खारिज किया गया था, किन्तु माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 05.06.2012 के निर्णय से उक्त आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः विचारार्थ इस न्यायालय को प्रेषित किया गया तथा तहसीलदार से पुख्ता पैमाइश रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
11. उक्त निर्देशों की पालना में तहसीलदार, चूरू के आदेशानुसार नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 28.03.2016 को मौके पर जाकर खसरा नं. 1303/888, रकबा 40 बीघा की पैमाइश एवं सीमाज्ञान किया गया।
12. प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा भूमि के उत्तर-पूर्व भाग में अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण पाया गया। दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण कल्याणसिंह एवं रामसिंह द्वारा लगभग 1 X 40 गड्ढा भूमि पर कब्जा पाया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रिपोर्ट के विरुद्ध आपति प्रस्तुत की गई, किन्तु अभिलेखों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त यह

- पाया गया कि उक्त रिपोर्ट सक्षम राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा विधिवत तैयार की गई है तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या संदेह का आधार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण की आपत्तियाँ निराधार पाई जाकर खारिज की जाती हैं तथा मौका रिपोर्ट को विश्वसनीय साक्ष्य मानते हुए स्वीकार किया जाता है।
13. अभिलेखों, साक्ष्यों एवं प्रस्तुत पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 888 पर अतिक्रमण किया गया है। अतः

—:आदेश:-

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1303/888, रकबा 40 बीघा मौजा दूधवाखारा तहसील चूरु जिला चूरु पर सीमाज्ञान व मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2016 में अंकित रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-1) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरु (चूरु)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार- I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं.: 189/2012

दर्ज दिनांक: 08.11.2012

1. (फौत) दिग्विजय सिंह पुत्र तिलोक सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
- 1/1 विक्रमसिंह पुत्र स्व. दिग्विजय सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
- 1/2 सुमित्रा कुमारी पत्नि स्व. दिग्विजय सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
- 1/3 सरोज कंवर पुत्री स्व. दिग्विजय सिंह जाति राजपूत निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. मोहनराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. (फौत) अमरचन्द पुत्र केसाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 2/1 सुन्दरदेवी पत्नि स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 2/2 रतनलाल पुत्र स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 2/3 खेमचन्द पुत्र स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 2/4 ईश्वरचन्द पुत्र स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 2/5 वेदप्रकाश पुत्र स्व. अमरचन्द जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
3. (फौत) कुम्भाराम पुत्र बुद्धाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 3/1 संगीता देवी पत्नि स्व. कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 3/2 सुरेन्द्र कुमार पत्र स्व. कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
4. (फौत) हनुमान पुत्र रामदेव जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)
 - 4/1 शंकरलाल पुत्र हनुमान जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 4/2 गोविन्दलाल पुत्र हनुमान जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
 - 4/3 मक्खनलाल पुत्र हनुमान जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु
5. गुट्टू पुत्र रामदेव जाति मेहतर निवासी दुधवाखारा तहसील व जिला चूरु (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दिग्विजय सिंह बनाम मोहनराम आदि

189/2012

निर्णय दिनांक:-30.04.2026

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ऋषिराजसिंह शेखावत

प्रतिवादीगण:- श्री बजरंगलाल शर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

---:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1303/888, रकबा 40 बीघा मौजा दूधवाखारा तहसील चूरु जिला चूरु पर सीमाज्ञान व मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2016 में अंकित रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह डिक्री आज दिनांक 30.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुनील कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरु (चूरु)